प्रेस नोट
दिनांक 11.04.2026

‘ऑपरेशन क्लीन’ अभियान के तहत थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में प्रयुक्त पिकअप वाहन की नीलामी सकुशल सम्पन्न

गोण्डा। जनपद गोण्डा में अपराध एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा संचालित ‘ऑपरेशन क्लीन’ अभियान के अंतर्गत लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित एक प्रकरण में प्रयुक्त वाहन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली मनकापुर में पंजीकृत पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित अभियोग में प्रयुक्त 01 अदद पिकअप वाहन को पूर्व में विधिक कार्यवाही के अंतर्गत कब्जे में लिया गया था। उक्त वाहन के संबंध में सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के आदेशानुसार नीलामी की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई गई। दिनांक 10.04.2026 को थाना मनकापुर परिसर में नायब तहसीलदार मनकापुर की अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति की उपस्थिति में पारदर्शी एवं विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत नीलामी कराई गई। नीलामी के दौरान समिति के समस्त सदस्य एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे, जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हो सकी। नीलामी प्रक्रिया में कुल 08 इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिनके मध्य प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाई गई। समस्त बोलीकर्ताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के पश्चात श्री रामनाथ कसौधन पुत्र रामनरेश निवासी मोहल्ला पटेल नगर, थाना मनकापुर द्वारा सर्वाधिक ₹2,14,551/– (दो लाख चौदह हजार पांच सौ इक्यावन रुपये) की बोली लगाई गई। नियमानुसार सर्वाधिक बोलीदाता से जीएसटी धनराशि ₹38,620/– सहित कुल निर्धारित धनराशि जमा कराई गई। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत उक्त पिकअप वाहन अधिकतम बोली कर्ता रामनाथ कसौधन उपरोक्त को सुपुर्द किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।